अति आवश्यक/महत्वपूर्ण/मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण।

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या–01 /2019
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलकमार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकःजनवरी 02 ,2019

विषयः आपराधिक मामलों की गुणवत्तापूर्ण, तथ्यपरक एवं समयबद्ध वैधानिक विवेचना सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

विषयांकित प्रकरण में मुख्यालय स्तर से आप समस्त के मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु अनेक दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। विभिन्न गोष्ठियों में भी इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी एवं सुझाव उपलब्ध कराये जाते रहे है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय स्तर से इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा निर्देशों का सही ढंग से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। त्वरित एवं समयबद्ध विवेचना न किये जाने के कारण पुलिस बल को प्रायः न्यायपालिका, मीडिया एवं अन्य स्रोतों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

2. वरिष्ठ रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या–19370 (एम/बी)/2017 सुधांशु मौर्या बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.2018 की प्रति अधोहस्ताक्षरी एवं प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन को प्रकरण का संज्ञान लेते हुये पुनः आप सभी को उचित दिशा निर्देश निर्गत किये जाने के आशय से प्रेषित की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सन्दर्भित रिट याचिका में पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् हैं :–

"We are not satisfied with the explanation furnished by Superintendent of Police, C.B.C.I.D. We have taken serious note of the fact that crime was registered on 29.08.2015. Ordinarily investigation should have been concluded within 90 days. Section 173 of Cr.P.C. specifically provides that "every investigation under this chapter shall be completed without unnecessary delay"

From the conduct of the investigating agency it is evident that even a case of murder has been taken so casually as to conclude investigation after more than three years and that too after this court took cognizance of the delay in concluding the investigation.

We deem it just and proper to refer a copy of this order to Principal Secretary Home, and ***Director General of Police,U.P., Lucknow who shall take cognizance of such cases and issue appropriate directions so as to ensure that investigation is conducted and concluded at the earliest in terms of the law.*** *Transfer of investigation from one to the other Police Station or agency under no circumstances can be considered as a good reason for delay in concluding the investigation. By delayed investigation, particularly* ***in cases of serious crimes like murder,*** *the evidence erodes, is lost or is suppressed and influenced by the accused.* ***Such delay in investigation adversely interferes with Administration of Justice".***

मुख्य अभियोगों की विवेचना हेतु हस्तपुस्तिका
डीजी परिपत्र सं0–17/17 दि0 18.07.2017
डीजी परिपत्र सं0–40/16 दि0 17.07.2016
डीजी परिपत्र सं0–66/15 दि0 26.09.2015
डीजी परिपत्र सं0–31/15 दि0 28.04.2015
डीजी परिपत्र सं0–51/15 दि0 12.07.2015
डीजी परिपत्र सं0–52/15 दि0 12.07.2015

3. उल्लेखनीय है कि सन्दर्भित विषय में ही क्रिमि0 मिस रिट याचिका संख्या–21467/2018 मुन्नी देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, क्रिमि0 रिट याचिका संख्या–29015/2018 एवं 29233/ 2018 भारती सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इसी प्रकार का आदेश पारित करते हुये आदेश की प्रति आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करने हेतु मुख्यालय को प्रेषित करने का आदेश पारित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में परिपत्र संख्या–49/2018 दिनांक 07.09.2018 एवं डीजी परिपत्र संख्या–60/2018 दिनांक 06.11.2018 को निर्गत किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त पार्श्वांकित परिपत्र भी इस मुख्यालय स्तर से निर्गत किये गये हैं, जो उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **uppolice.gov.in** पर उपलब्ध हैं।

Scanned by CamScanner

4. गुणवत्तापूर्ण, त्रुटिरहित, समयबद्ध, विधिसंगत एवं वैज्ञानिक विवेचना सुनिश्चित किये जाने हेतु पुनः निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं :—

(i) थानाध्यक्ष/थाना प्रभारी अपने स्तर से 45 दिवस से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा करेंगे और उनके लम्बित रहने के कारण को दर्शाते हुये प्रत्येक सप्ताह अपनी आख्या सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी अपने आदेश कक्ष में ऐसी विवेचनाओं की समीक्षा करके शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करेंगे।

(ii) क्षेत्राधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत थानों का प्रत्येक माह में कम से कम 02 आदेश कक्ष करेंगे एवं लम्बित विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निस्तारण करने हेतु गम्भीर प्रयास सुनिश्चित करेंगे तथा 03 माह से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं की सूची लम्बित रहने के कारणों को दर्शाते हुये अपर पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेंगे।

(iii) अपर पुलिस अधीक्षक 03 माह से अधिक समय से लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा करेंगे और उनके गुणवत्तापूर्ण त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करेंगे और 06 माह से अधिक समय से लम्बित ऐसी समस्त विवेचनाओं की सूची, विवेचना लम्बित रहने के कारणों सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी को प्रेषित करेंगे, जिसका उनके द्वारा गहराई से समीक्षा की जायेगी। अनावश्यक रूप से लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में दोषी विवेचकों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये विवेचनाओं का शीघ्र निस्ताण का गम्भीर प्रयास सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) 06 माह से अधिक समय से लम्बित विवेचनओं की सूची वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक को प्रेषित की जायेगी, जिसकी उनके द्वारा गहराई से समीक्षा करके ऐसी समस्त विवेचनाओं की साप्ताहिक प्रगति आख्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी से प्राप्त की जायेगी।

(v) यह भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी विशिष्ट अधिनियम यथा—**शिशु से बलात्कार सम्बन्धी अपराधो' (पोक्सो अधिनियम') में** (02 माह), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम—1989 (02 माह) आदि अधिनियमों में अपराध की विवेचना निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाने के विधिक निर्देश है तो उसका भी समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, जिससे कि मा0 न्यायालयों को विलम्ब के सापेक्ष कोई प्रतिकूल टिप्पणी विवेचक के विरुद्ध न करनी पड़े। समय सीमा का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(vi) विवेचनाधिकारियों अथवा पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा अकारण लम्बित रखी गयी विवेचनाओं के सम्बन्ध में लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु जोनल अपर पुलिस महानिदेशक को सूचना प्रेषित की जायेगी।

एतद्द्वारा आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपराधिक मामलों की वर्षो से लम्बित विवेचनाओं का बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के अभियान चलाकर तीन माह के अन्दर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें और अनुपालन आख्या **01 मार्च 2019 तक** मुख्यालय को प्रेषित करें। यदि किसी प्रकरण की विवेचना में अनुचित विलम्ब पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विवेचक/पर्यवेक्षण अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करके जोनल अपर पुलिस महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत करें तथा दोषी के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे अनावश्यक रूप से भविष्य में कोई भी विवेचनायें लम्बित न रहने पायें।

कृपया इसे व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें।

भवदीय

2/1/19

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक,सीबीसीआईडी/भ्र0नि0संगठन/आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन/विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध), उ0प्र0 लखनऊ/रेलवे/खाद्य प्रकोष्ठ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक. उ0प्र0।

Scanned by CamScanner